न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

223 RTA137of 2022(GCMS258 of 2022)

1. श्रीमती लाछा पुत्री गिरधारीराम पत्नी हरजीराम के कायममुकामान-
   1.1. आईदानराम पुत्र हरजीराम
   1.2. मूलाराम पुत्र हरजीराम
   1.3. किशनाराम पुत्र हरजीराम
   1.4. रामूराम पुत्र हरजीराम
   1.5. नेनी पुत्री हरजीराम
   1.6. खमु पुत्री हरजीराम
   1.7. धापु पुत्री हरजीराम
   1.8. इमरती पुत्री हरजीराम
   जाति जाट निवासीगण केलनसर
   तहसील बाप, जिला जोधपुर
2. बादुदेवी पुत्री गिरधारीराम पत्नी धोकलाराम के कायममुकामान-
   2.1. भंवरलाल पुत्र धोकलराम
   2.2. डूँगरराम पुत्र धोकलराम
   2.3. हीराराम पुत्र धोकलराम
   2.4. सुखाराम पुत्र धोकलराम
   2.5. रामप्यारी पुत्री धोकलराम
   2.6. धापु पुत्री धोकलराम
   2.7. पप्पू पुत्री धोकलराम
   जाति जाट, निवासीगण उदयनगर देणोक,
   तहसील बापिणी, जिला जोधपुर
3. खम्मा पुत्री गिरधारीराम पत्नी हीराराम जाट
   निवासी रूपाणा जेतारणा
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
4. रामूराम पुत्र तेजाराम जाट
   निवासी करणीनगर, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
5. लाखाराम पुत्र तेजाराम जाट
   निवासी करणीनगर, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
6. चूनाराम पुत्र गोमदराम जाट
7. केसूराम पुत्र गोमदराम जाट
8. देवाराम पुत्र गोमदराम जाट
9. सोनाराम पुत्र गोमदराम जाट
10. भंवरूराम पुत्र गोमदराम जाट
    निवासीगण जालोडा, तहसील लोहावट
    जिला जोधपुर
11. भागीरथ पुत्र मोतीराम जाट
    निवासी नारायणपुरा, तहसील बाप
    जिला जोधपुर
12. चुतरााराम पुत्र चूनाराम के कायममुकामान--
    12.1. समुदेवी पत्नी चुतरााराम जाट

29.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

12.2. प्रेम पुत्र चुतराराम जाट
12.3. जगदीश पुत्र चुतराराम जाट
12.4. मनीष पुत्र चुतराराम जाट
(नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता समुदेवी)
13. केसूराम पुत्र चूनाराम जाट
14. भगाराम पुत्र चूनाराम जाट
15. सोनाराम पुत्र चूनाराम जाट
16. अचलाराम पुत्र चूनाराम जाट
17. हिम्मताराम पुत्र चूनाराम जाट
निवासीगण उदयनगर देणोक
तहसील बापिणी, जिला जोधपुर
18. मोहनी पुत्री चूनाराम पत्नी पूनाराम जाट
निवासी चाखू, तहसील बाप
जिला जोधपुर
19. मेगी पुत्री चूनाराम पत्नी अमराराम जाट के कायममुकाम-
19.1. भंवरी पुत्री अमराराम जाट
19.2. रुकी पुत्री अमराराम जाट
19.3. जसाराम पुत्र अमराराम जाट
19.4. शिव पुत्री अमराराम जाट
(नाबालिग जरिये कुदरती संरक्षक पिता अमराराम जाट)
निवासीगण चाखू, तहसील बाप
जिला जोधपुर
20. अन्नूबाई पुत्री चूनाराम पत्नी चन्दुराम जाट,
निवासी हीरामोतीनगर, तहसील लोहावट,
जिला जोधपुर
21. कमला पुत्री चूनाराम पत्नी रूपाराम जाट
निवासी रूपाणियों की ढाणी, पल्ली प्रथम
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
22. धन्नीदेवी पुत्री चूनाराम पत्नी मोहनराम जाट
निवासी पश्चिमी ढाणी, लोहावट
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
23. मीरा पुत्री चूनाराम पत्नी मगाराम जाट
निवासी पूलाणियों की ढाणी, लोहावट जाटावास
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. लिछमी पत्नी सेताराम जाट
निवासी शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट

29.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिला जोधपुर
2. पम्पोदेवी पुत्री सेताराम पत्नी गिरधारीराम जाट,
निवासी लूखों की ढाणी, गोदेलाई चामू,
तहसील बालेसर, जिला जोधपुर
3. सुखी पुत्री सेताराम पत्नी भंवरलाल जाट,
निवासी लोहावट जाटावास, तहसील लोहावट,
जिला जोधपुर
4. पदमी पुत्री सेताराम पत्नी चूनाराम जाट,
निवासी जाखडों की ढाणी सामराउ, तहसील ओसिया,
जिला जोधपुर
5. भागीरथ पुत्र सेताराम जाट
निवासी शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट
जिला जोधपुर
6. पेंपोदेवी पत्नी दाउराम जाट,
निवासी जाटों की सणी, आमला,
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
7. सुखराम पुत्र जोगाराम जाट,
निवासी शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट
जिला जोधपुर
8. धनाराम पुत्र जोगाराम जाट,
निवासी शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट
जिला जोधपुर
9. बनाराम पुत्र जोगाराम जाट,
निवासी शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट
जिला जोधपुर
10. सोनाराम पुत्र जोगाराम जाट,
निवासी शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट
जिला जोधपुर
11. मीरा पुत्री जोगाराम पत्नी केसूराम,
निवासी आमला, तहसील लोहावट,
जिला जोधपुर
12. रेंवती पुत्री जोगाराम पत्नी गणेशराम जाट
निवासी रामदेवनगर, आमल
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
13. सोनी पुत्री जोगाराम पत्नी गणेशराम जाट
निवासी रामदेवनगर, आमल
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
14. बाबू पुत्री जोगाराम पत्नी मोहनराम जाट
निवासी नारायणपुरा चाखू
तहसील बाप, जिला जोधपुर
15. चूकी पुत्री जोगाराम पत्नी भंवरराम जाट
निवासी रूपाणा जैताणा, तहसील लोहावट
जिला जोधपुर

29-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

16. भंवरी पुत्री जोगाराम पत्नी मोहनराम जाट,
निवासी शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट,
जिला जोधपुर
17. किसनाराम पुत्र गोरधनराम जाट,
निवासी शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट,
जिला जोधपुर
18. हिम्मताराम पुत्र गोरधनराम जाट,
(नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता
मीरा पत्नी गोरधनराम जाट,
निवासी शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट,
जिला जोधपुर
19. मीरा पत्नी गोरधनराम जाट,
निवासी शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट,
जिला जोधपुर
20. समू पुत्री गोरधनराम जाट, पत्नी पेमाराम जाट,
निवासी प्रहलादपुरा, तहसील बालेसर,
जिला जोधपुर
21. चुतराराम पुत्र सेताराम उर्फ शैतानराम जाट,
निवासी शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट,
जिला जोधपुर
22. मोहनराम पुत्र सेताराम उर्फ शैतानराम जाट,
निवासी शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट,
जिला जोधपुर
23. खींयाराम पुत्र सेताराम उर्फ शैतानराम जाट,
निवासी शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट,
जिला जोधपुर
24. लीलादेवी पत्नी ओमाराम जाट
निवासी लवारी, तहसील बिलाडा,
जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट
दिनांक 17 जुलाई 2023 राजस्व वाद संख्या
1053/2020 लाछा बनाम लिछमी इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री अभिषेक शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 17 से 20 व 34
श्री राजेन्द्र जाखड, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1, 3, 5, 7, 10 व 22
बकाया रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

29.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 29 नवम्बर, 2023

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व वाद संख्या 1053/2020 लाछा व अन्य बनाम लिछमी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 17 जुलाई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 01 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्व ग्राम शैतानसिंहनगर स्थित आराजी खसरा संख्या 388 रकबा 147 बीघा, खसरा संख्या 388/1 रकबा 148 बीघा, खसरा संख्या 388/2 रकबा 149 बीघा, खसरा संख्या 388/3 रकबा 113 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 388/4 रकबा 35 बीघा, खसरा संख्या 388/5 रकबा 2 बीघा एवं खसरा संख्या 388/6 रकबा 2 बीघा कुल रकबा 596 बीघा 19 बिस्वा के संबंध में एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 व 92ए के तहत पेश किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। उक्त वाद विचराधीन रहने के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया, जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17 जुलाई 2023 को स्वीकार करते हुए मूल दावा विधि द्वारा वर्जित मानते हुए खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स की ओर से आलौच्य अपीलें प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने मामले के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात के मूल खसरा संख्या 388 रकबा 596 बीघा 19 बिस्वा बाबत वक्त सेटलमेण्ट पर्चा लगान गिरधारी पुत्र डावाराम जाति जाट निवासी ग्राम बन्नासर के नाम जारी हुआ और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात किये गये। खातेदार गिरधारीराम के तीन पुत्र व सात पुत्रियॉ हुई, गिरधारीराम के देहान्त के बाद उनके पुत्र खेताराम द्वारा उक्त अविभाजित

29.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा संख्या 388 रकबा 596 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 150 बीघा भूमि जरिये बख्शीशनामा अपनी पत्नी रेस्पो. संख्या एक लिछमी के नाम कर दी गयी जिसके अनुसरण में म्युटेशन संख्या 21 स्वीकृत करवाया गया, जबकि बख्शीशनामा जैसा कोई दस्तावेज विधिवत पंजीबद्ध ही नहीं करवाया गया। अतः उक्त तथाकथित बख्शीशनामा व उसके अनुसरण में स्वीकृत म्युटेशन के आधार पर रेस्पो. संख्या एक लिछमी को वादग्रस्त भूमि बाबत कोई खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होते है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि खातेदार गिरधारीराम के तीन पुत्र व सात पुत्रियॉ हुई, किन्तु गिरधारीराम के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजियात बाबत उसकी पुत्रियों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज ही नहीं किया गया। इसी प्रकार गिरधारीराम का एक पुत्र उर्जाराम निसंतान एवं अविवाहितावस्था में फौत हो गया, अतः उसके हिस्से की भूमि बाबत विधिक तौर पर गिरधारीराम के अन्य वारिसान का हक बनता है। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इन सभी बिन्दुओं एवं मूल वाद में वांछित समग्र अनुतोष बाबत निर्धारित विधिक प्रकिया अपनाई जाकर कोई न्यायोचित निर्णय पारित करने की बजाय मात्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते हुए अपना पूर्ण ध्यान आराजी खसरा संख्या 388/1 बाबत ध्यान केन्द्रित करते हुए वादीगण का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वक्त सेटलमेण्ट आराजी खसरा संख्या 388 रकबा 596 बीघा गिरधारीराम के नाम दर्ज हुई जिसमें से 150 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या एक के पक्ष में गिरधारीराम द्वारा बख्सीस की गयी जिसका म्युटेशन संख्या 21 स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया और उक्त 150 बीघा भूमि का अलग खसरा संख्या 388/1 कायम किया गया। इस म्युटेशन संख्या 21 के खिलाफ प्रस्तुत अपील जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा दिनांक 9.11.2020 को खारिज की जा चुकी है और उक्त आदेश के खिलाफ आदिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोई नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा धारा 11 सीपीसी से बाधित है तथा वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 388/1 वादीगण की पुश्तैनी भूमि नहीं है। अन्य खसरा नम्बरान की भूमि के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा न तो कोई निर्णय पारित किया

29-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया और न ही अन्य खसरा नम्बर बाबत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागू होने बाबत कोई खुलासा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी में किया गया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि वादी पक्ष की ओर से मूल दावा मूल खसरा संख्या 388 रकबा 596 बीघा 19 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत किया गया है और म्युटेशन की कार्यवाही मात्र एक फिस्कल कार्यवाही होती है जिसके आधार पर खातेदारी अधिकारों का अर्जन अथवा हनन नहीं होता है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 08 मई 2023 को पेश किया गया, जिसके जबाब हेतु आगामी तारीख पेशी 05 जून 2023 मुकर्रर की गयी, किन्तु पीठासीन अधिकारी मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण दिनांक 5 जून 2023 एवं आगे दिनांक 6 जुलाई 2023 की पेशीयां इल्तवा की जाकर आगामी पेशी 6 अगस्त 2023 रखी गयी। किन्तु निर्धारित पेशी 06 अगस्त 2023 के पूर्व ही आदेशिका दिनांक 14 जुलाई 2023 में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 5, 6 की ओर से पेश अर्जेण्ट सुनवाई का प्रार्थनापत्र करते हुए उभयपक्ष को सूचित होकर मिसल 17 जुलाई 2023 (तारीख में काटछांट की हुई है) को पेश होने बाबत निर्देश दिये गये एवं दिनांक 17 जुलाई 2023 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करते हुए दावा विधि द्वारा वर्जित मानते हुए खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते समय मात्र मूल वाद में वर्णित अभिकथन ही विचारणीय रहते है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने न्यायालय का ध्यान 2021(2) RRT 1480 (SC), 2019(3) SCC 692 (SC), 2010(2) RRT 433 (HC), 2011(2) RRT 819 (HC), 2013(9) SCC 419 (SC), 2012(1) RRT 223 (BoR) और 2012(1) RRT 320 (BoR) की ओर आकर्षित किया एवं अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन किया और कथन किया कि मूल खसरा संख्या 388 रकबा 596 बीघा 19 बिस्वा बाबत वक्त सेटलमेण्ट पर्चा लगान गिरधारी के नाम जारी हुआ, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज भी किये गये। इस प्रकार यह भूमि गिरधारी की

29-1-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वार्जित भूमि होने के कारण इसमें से उसके द्वारा 150 बीघा भूमि रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में बख्शीश किया जाना विधिसम्मतः है। बख्शीश में प्राप्त उक्त 150 बीघा भूमि के खसरा संख्या 388/1 कायम हुआ जिसमें से प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा 2 बीघा भूमि विघालय को दान कर दी गयी तथा 98 बीघा भूमि प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 2 से 5 को बख्शीश कर दी गयी। बकाया 50 बीघा भूमि का अपनी जायज जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 6 के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 16 जुलाई 2020 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। जिसे आदिनांक तक विधिवत कोई चुनौती नहीं दी गयी है। अतः उक्त खसरा संख्या 388/1 बाबत वादी-पक्ष को कोई अधिकार उपलब्ध नहीं होते है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-रेस्पो. ने Civil Appeal No; 2717 of 2023 Ramisetty Venkatnna & ors Vs Nasyam Jamal Saheb & ors के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28 अप्रेल 2023 उद्धरित किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख और प्रस्तुत नजीरों का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष अपने वाद के जरिये वादी-पक्ष की ओर से निम्नलिखित अनुतोष चाहा गया -

1. वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 388 रकबा 598 बीघा 19 बिस्वा सरहद मौजा शैतानसिंहनगर में से 150 बीघा भूमि बाबत स्वीकृत म्युटेशन संख्या 21 निरस्त किया जावे।
2. खसरा संख्या 388 रकबा 446 बीघा 19 बिस्वा ग्राम शैतानसिंहनगर बाबत विरासतन म्युटेशन संख्या 44 निरस्त किया जावे व उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राजात को वादीगण के हकूक के खिलाफ बेअसर घोषित किया जावे।
3. खसरा संख्या 388 रकबा 446 बीघा 19 बिस्वा ग्राम शैतानसिंहनगर के बंटवाडा को वादीगण के जायज हकूक के खिलाफ प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा प्रतिवादिनी संख्या

29.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एक द्वारा दिनांक 6.7.2020 को प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 के पक्ष में अपने 1/81 हिस्सा से अधिक मानते हुए निष्पादित बख्शीसनामों को वादीगण के हकूक के खिलाफ एबइनिशियों वाइड करार दिया जावे।

4. वर्तमान राजस्व अभिलेख में खसरा संख्या 388 रकबा 147 बीघा, खसरा संख्या 388/1 रकबा 148 बीघा, खसरा संख्या 388/2 रकबा 149 बीघा, खसरा संख्या 388/3 रकबा 113 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 388/4 रकबा 35 बीघा, खसरा संख्या 388/5 रकबा 2 बीघा एवं खसरा संख्या 388/6 रकबा 2 बीघा कुल रकबा 596 बीघा 19 बिस्वा के बट्टा नम्बर हटाये जाकर मूल खसरा संख्या 388 रकबा 596 बीघा 19 बिस्वा समेकित किया जावे और वादिनी संख्या 1 को ⅛, वादिनी संख्या 2 को ⅛, वादिनी संख्या 3 को ⅛, वादीगण संख्या 4 व 5 तथा प्रतिवादी संख्या 27 से 32 को संयुक्त रूप से ⅛, वादीगण संख्या 6 से 10 को ⅛, वादी संख्या 11 को ⅛, वादीगण संख्या 12 से 23 को ⅛ हिस्सा के खातेदार सहकाश्तकार काबिज होना घोषित किया जावे और प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 प्रत्येक का 174/1139 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 से 24 का संयुक्त रूप से 592/11939 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 7 से 16 का ⅛ हिस्सा, अनोपी पत्नी रावतराम का 700/11939 हिस्सा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोरडो की ढाणी का 40/11939 हिस्सा, मोहनबाई पत्नी शहीद राणुसिंह पुत्र उमगसिंह राजपूत का 40/11939 हिस्सा दर्ज किया जावे।
5. स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।
6. खर्चा वादीगण को दिलाया जावे।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17 जुलाई 2023 के जरिये प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादीगण का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वक्त

29.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सेटलमेण्ट आराजी खसरा संख्या 388 रकबा 596 बीघा गिरधारीराम के नाम दर्ज हुई जिसमें से 150 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या एक के पक्ष में गिरधारीराम द्वारा बख्सीस की गयी जिसका म्युटेशन संख्या 21 स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया और उक्त 150 बीघा भूमि का अलग खसरा संख्या 388/1 कायम किया गया। इस म्युटेशन संख्या 21 के खिलाफ प्रस्तुत अपील जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा दिनांक 9.11.2020 को खारिज की जा चुकी है और उक्त आदेश के खिलाफ आदिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोई नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा धारा 11 सीपीसी से बाधित है तथा वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 388/1 वादीगण की पुश्तैनी भूमि नहीं है।

इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मात्र आराजी खसरा संख्या 388/1 बाबत ध्यान केन्द्रित करते हुए पारित किया गया है एवं अन्य खसरा संख्या के संबंध में वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष के संबंध में आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान किस प्रकार लागू होते है, इस संबंध में कोई विवेचन कर निष्कर्ष पारित नहीं किया गया और न ही अन्य खसरान बाबत वांछित अनुतोष बाबत कोई निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य एवं अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत नजीरों के आलोक में अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 17 जुलाई 2023 अपास्त किये जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने अवसर प्रदान किया जावे तथा दावे एवं जबाब के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण सहित निष्कर्ष अंकित करते हुए प्रकरण का न्यायोचित निस्तारण किया जावे। विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु उभयपक्षकारान दिनांक 28 दिसम्बर 2023 को उपस्थित रहे, जिसके लिए पृथक से किसी प्रकार की सूचना/नोटिस/सम्मन जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के

29.11.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवलोकन से मूल खसरा संख्या 388 रकबा 596 बीघा 19 बिस्वा में से बख्शीश की गयी 150 बीघा भूमि व बकाया रही भूमि का समय-समय पर किये गये बेचान, बख्शीश व अन्य प्रकार से किये गये हस्तान्तरण आदि के आधार पर अलग-अलग बट्टा नम्बर कायम होकर भिन्न-भिन्न पक्षकारान के नाम भूमि दर्ज होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यों, राजस्व रिकार्ड की स्थिति एवं अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले में पक्षकारान के मध्य अनावश्यक तनाव एवं वादकरण की बहुलता की रोकथाम हेतु न्यायहित में उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि उक्त दिनांक 28 दिसम्बर 2023 तक वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे। उक्त दिनांक के बाद पक्षकारान विचारण न्यायालय से इस संबंध में निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुसार आवश्यक आदेश प्राप्त करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.11.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर